Undertakings attached to them. However, the State Govts. generally issue their own guidelines in this regard.

(b) Where a communication is addressed to a Minister, it should, as far as practicable, be replied to by the Minister. In other cases, a reply should normally be issued under the signature of an officer not below the rank of Joint Secretary. Where, however, a communication is addressed to the head of an attached or subordinate office, it should be replied to by the addresee himself. In matters involving questions of policy, however, the officer should have prior consultation with appropriate authorities before sending a reply.

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में लंबित पड़े मामलें

636. **श्री अजीत जोगी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में कर्मचारियों से संबंधित कितने मामले लंबित पड़े है;

(ख) क्या सरकार इन मामलों को तेजी से निपटाने के लिए कोई समयबद्ध कार्य योजना प्रारम्भ करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) 31-12-1990, 31-12-1991 तथा 31-12-1992 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की विभिन्न न्यायपीठों में लम्बित मामलों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ख) और (ग) इन मामलों का तेजी से निपटान करने के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक मामले निपटाए गए। 1990 में, 15,488, 1991 में 17,552 तथा 1992 में 25,939 मामले निपटाए गए।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की विभिन्न न्यायपीठों में कर्मचारियों से संबंधित लम्बित मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	न्यायपीठ का नाम	31-12-90	31-12-91	31-12-92
1.	प्रधान न्यायपीठ	7635	9157	8316
2.	अहमदाबाद	1743	1612	1489
3.	इलाहाबाद	*5296	*5793	5159
4.	लखनऊ	—	—	1406
5.	बंगलौर	1183	660	750
6.	बम्बई	2621	2138	2444
7.	कलकत्ता	3796	3780	4023
8.	चण्डीगढ़	2710	3387	3596
9.	कटक	805	958	1159
10.	गुवाहाटी	270	473	646
11.	हैदराबाद	1628	1893	1921
12.	जबलपुर	1504	2017	2361
13.	जोधपुर	#3592	#3779	1242
14.	जयपुर	—	—	2080
15.	मद्रास	1316	1416	1687
16.	पटना	345	606	670
17.	एर्नाकुलम	967	1750	1611
	कुल	35411	39419	40560

* लखनऊ न्यायपीठ के मामलें शामिल हैं।

\# जयपुर न्यायपीठ के मामलें शामिल हैं।

Poverty Alleviation Programme

637. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the details of the major poverty alleviation programmes under implementation;

(b) what are the targets set under these programmes and achievements made during the last three years; state-wise;

(c) whether there was shortfall in achieving the targets;

(d) if so, the reasons thereof; and

(e) the steps taken by Government to remove hurdles in the implementation of these programmes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (*SHRI UTTAMBHAI PATEL*) : (a) and (b) The major poverty alleviation programmes under implementation by the Center are (i)